राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रं. / एन.एच.एम. / NIPI / 2015 / 5924 भोपाल, दिनांक 04 / 06 / 2015

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) एवं साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण (WIFS) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला एवं खण्ड स्तर पर NIPI/WIFS एडवाइजरी समिति का गठन किए जाने के संबंध में।

*****

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव–परिपत्र क्रमांक 2 (2015–16)

विषयांतर्गत लेख है **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 (NFHS-3) के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत गर्भवती महिलायें, 56 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) 30 प्रतिशत किशोरवय बालक एवं लगभग 74 प्रतिशत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया विशेषकर आयरन की कमी से होने वाली एक गंभीर जन समस्या है। लगभग 20 से 40 प्रतिशत मातृ मृत्यु का अंतर्निहित कारण एनीमिया होता है।**

एनीमिया / रक्ताल्पता देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, जिसके निवारण व रोकथाम हेतु जीवन–चक्र आधारित रणनीति अपनाई जाने की महती आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा **"नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI)"** का शुभारंभ किया गया है। **NIPI** कार्यक्रम के अंतर्गत 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बालक –बालिकाओं हेतु प्रदेश में संचालित पूर्ववर्ती **WIFS** कार्यक्रम को भी समाहित किया गया है।

नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के मैदानी स्तर शालाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से पर सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु **NIPI/WIFS** एडवाइजरी समिति का गठन किया जाना है। गठित समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

- **जिला स्तर पर, NIPI/WIFS एडवाइजरी समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाए। प्रत्येक माह समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी–एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिला शिक्षा अधिकारी, आदिम जाति कल्याण विभाग से समन्वय कर किया जाए।**
- **समिति की बैठक में समस्त विकासखण्डों के एसडीएम,** सीडीपीओ– महिला बाल विकास विभाग, खण्ड **चिकित्सा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए।**
- **आंगनवाडी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षकों द्वारा NIPI/WIFS के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा एवं औचक निरीक्षण किया जाए।**
- **खराब प्रदर्शन वाले शालाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रों का चिन्हांकन एवं समस्याओं के समाधान हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**
- **पर्याप्त आई.एफ.ए. (गुलाबी / नीली गोली एवं आई.एफ.ए. सिरप) एवं नेशनल डीवॉर्मिंग हेतु एलबेन्डाजॉल गोली की निर्बाध उपलब्धता एवं शालाओं एवं आंगनवाडी केन्द्रों तक वितरण की समीक्षा की जाए।**
- **आईईसी सामग्री को न्यायोचित प्रदर्शन एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए।**
- **NIPI/WIFS कार्यक्रम की प्रतिमाह विकासखण्डवार सतत एवं गहन समीक्षा की जाए जिससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति एवं निश्चित समयसीमा में मासिक रिर्पोट प्रेषित की जा सके।**
- **निर्देशित किया जाता है की उक्त समिति का गठन कर प्रतिमाह NIPI/WIFS कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए मिटिंग मिनट्स की प्रति राज्य नोडल अधिकारी डॉ. प्रज्ञा तिवारी उपसंचालक –NIPI/WIFS की इमेल आईडी** – ddwifsmpnrhm@gmail.com **पर प्रेषित की जाए।**

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक, एन.एच.एम
मध्यप्रदेश

क्र. / एन.एच.एम. / NIPI / 2015 /5925 भोपाल, दिनांक 04/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वात्सल्य भवन, मध्यप्रदेश।
6. सुश्री रितु घोष, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
7. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश।
8. डॉ. अबोली गोरे, टीम लीडर, एमपी–टास्ट, मध्यप्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
11. समस्त जिला NIPI नोडल अधिकारी आर.सी.एच. / एन.एच.एम., म.प्र.।
12. समस्त डी.एच.ओ –1, आर.सी.एच. / एन.एच.एम., म.प्र.।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच. / एन.एच.एम., म.प्र.।
14. समस्त जिला पोषण सलाहकार, शिशु स्वास्थ्य–पोषण, एन.एच.एम.,म.प्र.।

मिशन संचालक, एन.एच.एम
मध्यप्रदेश